डिजिटल भारत निधि एवं टेलिकॉम अधिनियम

हालिया सन्दर्भ

- हाल ही में भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT, Department of Telecommunication) के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए डिजिटल भारत निधी (DBT) का मसौदा 4 जुलाई को जारी किया गया है।
- यह डिजिटल भारत निधी पहले की यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF, Universal Service obligation fund) का स्थान लेगा।

क्या है डिजिटल भारत निधी

- डिजिटल भारत निधी मुख्य रूप से दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क को विस्तृत करने के उद्देश्य से बनाया गया है।
- पिछले महीने केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल भारत निधि (DBN) के तहत कुछ नियम प्रस्तावित किए गए थे जिसका दायरा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) की बदलाव के साथ इनका दायरा भी बढ़ गया।
- टेलीकॉम अधिनियम-2023 के अनुसार डिजिटल भारत निधि के अंतर्गत सभी टेलीकॉम कंपनियों पर उनके समयोजित सकल राजस्व (AGR, Adjust Gross Revenue) पर लगाए गए 5% यूनिवर्सल सर्विस लेवी से प्राप्त धन को सर्वप्रथम भारत के समेकित कोष (CFI, Consolidated fund of India) में जमा किया जाएगा।
- तत्पश्चात केंद्र सरकार टेलीकॉम कंपनियों से यूनिवर्सल सर्विस लेवी के रूप में भारत के समेकित कोष (CFI) में प्राप्त धनराशि को डिजिटल भारत निधि (DBN) में जमा करेगा।

- डिजिटल भारत निधि (DBN) में जमा किए गए इस धन का उपयोग दूरदराज शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां दूरसंचार संचार सेवाएं अब भी नहीं पहुंच पाई हैं वहां दूरसंचार सेवाओं के पहुंच और वितरण के लिए किया जाएगा।
- इसके अलावा डिजिटल भारत निधि में जमा किए गए धनराशि का उपयोग दूरसंचार संबंधी प्रौद्योगिकी और उत्पादों के अनुसंधान तथा विकास के लिए, दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार के लिए पायलट परियोजनाओं को लागू करने के लिए किया जाएगा।

डिजिटल भारत निधि का संचालन

- भारतीय दूरसंचार विभाग (DOT)द्वारा जारी डिजिटल भारत निधि (DBN) के मसौदा नियमों के अनुसार केंद्र सरकार 'डिजिटल भारत निधि' को संचारित करने के लिए आवेदन के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को 'प्रशासक' के रूप में नियुक्त करेगा।
- डिजिटल भारत निधि (DBN) को संचालित करने के लिए चुने गए प्रशासक (administrator) इस निधि के अंतर्गत काम करने वाले कार्यान्वयनकर्ताओं को पूर्ण फंडिंग, आंशिक फंडिंग, सह फंडिंग सहित बाजार जोखिम शमन संबंधी फंडिंग प्रदान करने के तौर-तरीके का निर्धारण करेगा।
- डिजिटल भारत निधि के तहत जारी मसौदा नियमों के आधार पर DBN कार्यान्वयनकर्ता शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में जहां दूरसंचार की पहुंच अभी तक संभव नहीं हो सका है वहां के वंचित समूहों जैसे महिलाओं, विकलांगों, आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को पहचान कर दूरसंचार सेवाओं की पहुंच प्रदान करने के लिए फंडिंग करेगा।

दूरसंचार के तकनीकी पहलुओं के लिए जागरूकता

- 'डिजिटल भारत निधि' के अंतर्गत काम करने वाले कार्यान्वयनकर्ता दूरसंचार के वंचित क्षेत्र के लोगों को दूरसंचार नेटवर्क उपलब्ध करवाने सहित इसके रखरखाव, संचालन के तकनीकी पहलुओं को समझाने के लिए जागरूकता अभियान चलायेंगे।
- भारतीय डिजिटल निधि के अंतर्गत काम करने वाले कार्यान्वयनकर्ता समूह नियामक सैंडबॉक्स के निर्माण दूरसंचार उपकरण के निर्माण सहित दूरसंचार क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने का काम करेंगे।

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (USOF) क्या है ?

- सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (USOF) की उत्पत्ति पहली बार वर्ष 1837 में रोलैंड हिल ने डाक सुधारों के लिए यूके (United Kingdom) में पेश किया था।
- भारत में सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधी (USOF) की शुरुआत भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम-2006 के माध्यम से की गई थी जिसका उद्देश्य टेलीग्राफ सेवाओं (मोबाइल सेवाओं, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के बुनियादी ढांचे के निर्माण आदि) की पहुंच ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में बढ़ाना था।
- हालांकि भारत में यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) की स्थापना वर्ष 2003 में 'ग्रामीण एवं दूरदराज क्षेत्र में' सस्ती और उचित कीमत पर 'बेसिक' टेलीग्राफ सेवाओं की पहुंच प्रदान करने के लिए की गई थी

Result Mitra

जिसमें से वर्ष 2006 में भारतीय टेलीग्राफ (संशोधित) अधिनियम-2006 के तहत 'बेसिक' शब्द को हटाकर इसे पुनर्स्थापित किया गया।

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (USOF) का कम उपयोग

- सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (USOF) का मुख्य आलोचना इसके कम कार्यान्वयन उपयोगिता के लिए होती रही।
- दिसंबर 2022 में भारतीय संचार राज्य मंत्री ने संसद में जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2017 से 2022 के बीच सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (USOF) में दूरसंचार कंपनियों द्वारा दिए गए योगदान के रूप में 41,740 करोड़ रुपए एकत्र किए गए जिसमें से सिर्फ 30,213 करोड़ रुपए का ही उपयोग हो पाया।
- वर्ष 2019-20 में इस निधि के माध्यम से 7,962 करोड़ रुपए एकत्र किए गए जिसमें से मात्र 2,926 करोड़ रुपए का ही उपयोग किया गया।
- USOF का कमजोर या कम खर्च का एक प्रमुख कारण गांवों में फाइबर कनेक्टिविटी के लिए 'भारतनेट परियोजना' के लिए आवंटित धन का कम खर्च करना माना जा सकता है।

दूरसंचार विधायक-2023

- 18 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पेश किए गए दूरसंचार विधेयक 26 जून 2024 को पूरे देश में आंशिक रूप से लागू हो गया।
- आंशिक रूप का तात्पर्य है कि इसके कुछ मसौदा अभी प्रस्तावित है या संशोधित किया जा रहे हैं जो बाद में संशोधन के साथ पूर्ण रूप से लागू होगा।
- दूरसंचार विधायक-2023 मुख्य रूप से भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम-1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम-1935 और टेलीग्राफ तार अधिनियम-1950 को प्रतिस्थापित करने के लिए लागू किया गया है।

दूरसंचार विधायक की मुख्य विशेषता

- दूरसंचार नेटवर्क स्थापित एवं संचारित करना
- दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना
- स्पेक्ट्रम का कार्यभार नीलामी के माध्यम से करना
- उपयोगकर्ता की सुरक्षा के लिए 'डू नोट डिस्टर्ब' ' Do not Disturb' रजिस्टर बनाना।
- सुरक्षित और संरक्षित दूरसंचार उपयोग के लिए डिजिटल रूप से समावेशी विकास प्रदान करना
- दूरसंचार से संबंधित मनोरंजन के लिए प्राधिकरण बनाना
- दूरसंचार सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण की शर्तों और नियमों का उल्लंघन करने पर आर्थिक दंड एवं कारावास का प्रावधान

Result Mitra

भारत का समेकित निधि (CFI)

- भारत का समेकित निधि (CFI, Consolidated fund of India) भारत सरकार के सभी सरकारी निधि में सबसे महत्वपूर्ण है।
- सरकार द्वारा प्राप्त किए गए सभी राजस्व तथा इनके द्वारा खर्च किए गए सभी धनराशि इसी निधि के अंतर्गत आते हैं।
- यानी प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों अब (GST) के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, उधार किया गया धन और सरकार द्वारा दिए गए ऋणों से प्राप्त धनराशि सभी भारत के समेकित निधि (CFI) द्वारा संचालित होते हैं।
- भारत के समेकित निधि का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अनुसार किया गया है एवं समेकित निधि से पैसा निकालना सिर्फ भारतीय संसद की मंज़ूरी से ही संभव है।

समयोजित सकल राजस्व (Adjusted Gross Revanue)

- समयोजित सकल राजस्व को वर्ष 1999 में नई दूरसंचार नीति के तहत अमल में लगाया गया जिसका उपयोग टेलीकॉम कंपनियों के लाइसेंस व्यय एवं अन्य शुल्कों का पता लगाने के लिए किया जाता है।
- टेलीकॉम कंपनियों के समयोजित सकल राजस्व (AGR) की गणना नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) करते हैं।

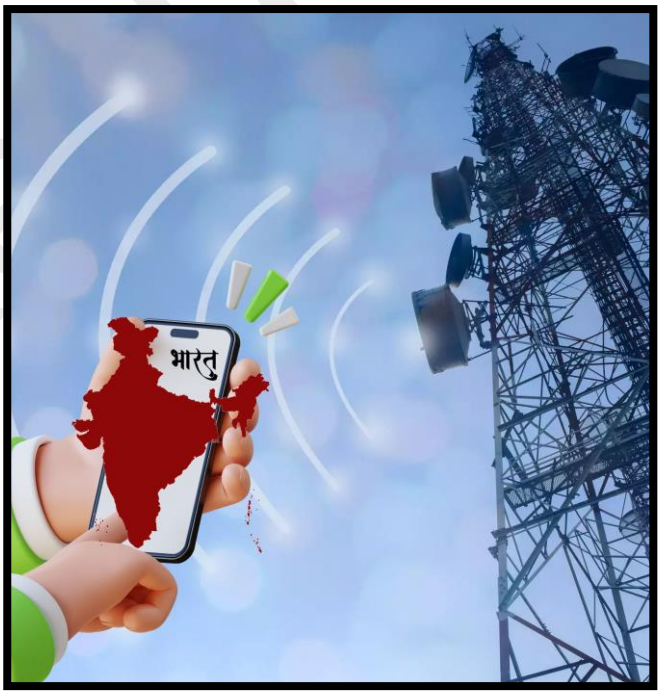

Result Mitra